टी0ए0 मिस केस सं0 257/2020-21

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
24/11/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री **गाँधी देवगम, पिता–स्व० प्रधान देवगम, ग्राम–दुम्बीसाई**, थाना– **मुफ्फसिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **नरपालिका वार्ड नं०–03** थाना नं0– **644** खाता न0– **37**, प्लॉट न0– **238** रकवा– **0.03½ एकड़** भूमि क्रेता **बुधन सिंह देवगम, पिता– स्व0 पितामबर देवगम**, ग्राम–**तिरिलबासा**, थाना– **मुफ्फसिल** चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। नगर विकास विभाग झारखण्ड सरकार के अधिसूचना सं०–3034 दिनांक– 03.09.2011 के द्वारा चाईबासा नगर पार्षद में सम्मिलित मौजा दुम्बीसाई को नगर पार्षद सीमा से निकालने का आदेश प्राप्त है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक **1153**, दिनांक **18.11.2020** के द्वारा प्राप्त है। खेती के लिए हल बैल एवं गृह निर्माण हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **बुधन सिंह देवगम, पिता–स्व0 पिताम्बर देवगम**, ग्राम–**तिरिलबासा**, थाना– **मुफ्फसिल** चाईबासा के पास **2,20,000.00/– (दो लाख बीस हजार) रूपये** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी को कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदित प्लॉट में शेष भूमि **2.50** एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **गाँधी देवगम, पिता–स्व० प्रधान देवगम, ग्राम–दुम्बीसाई**, थाना **मुफ्फसिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **नगरपालिका वार्ड नं०–03** थाना नं0 **644** खाता न0 **37**, प्लॉट न0 **238** रकवा **0.03½ एकड़** भूमि को क्रेता **बुधन सिंह देवगम, पिता– स्व0 पिताम्बर देवगम**, ग्राम–**तिरिलबासा**, थाना– **मुफ्फसिल** चाईबासा जिला– पश्चिमी सिंहभूम के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा भूमि हस्तांतरण करने की ....अनुमति.... दी जाती है। लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 24/11/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner